

10/10/2023

वनुत्पाय करीकेन उपस्थित / तहसीलदार
 बायतु से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त जिस
 शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार
 बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर दोनों
 अधिकारियों के बहस सुनी गई। दोनों पक्षों
 के बीचवक्ता तहसीलदार बायतु से प्राप्त
 विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। लिहाजा
 तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव
 अनुसार पत्रकारों के मध्य विभाजन किया
 जाता है

क्र.सं.	नाम खातेदार	ग्राम नाम	खसरा संख्या	रकबा हेक्टेयरमें	भूमि किस्म	लगाव	बंरग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चिमनाराम पुर देवाराम दि. 11/86	कौसरिया	526	0.2484	वा.सौ.	0.02	
			276				
		भोग	0.2484	वा.सौ.	0.02		
		295	0.8303	वा.दे.			
जति-जात सादेह खातेदार	ढाका की ढाणी	533	1.4578	वा.दे.			
		भोग	2.2881	वा.दे.			

विशेष अधिकारी
 जिला - रायचूर

अहकाम
हुकम को
में जारी हुए

राजस्व वाद सप 193/2020
हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
चिन्नाराम v/s कुम्भाराम वगैरे

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए


1	2	3	4	5	6	7	8
2.	नारंगाराम पुत्र देवसाम जाति- जाट सा. देह खातेदार एचन PNB शाखा आप्रतु	कौसरिया डाको की डाणी	526	1.0640	बा. सो.	0.05	
			276				
			भोग	1.0640	बा. सो.	0.05	
			533/288	3.3330	बा. दे.		
3.	गौनाराम पुत्र देवसाम जाति- जाट सा. देह खातेदार एचन ICICI शाखा कानासर	डाको की डाणी	533/288	0.8090	बा. दे.		
			भोग	4.1420	बा. दे.		
			295	2.1552	बा. दे.		
			533	1.8801	बा. दे.		
4.	कुम्भाराम पुत्र विशनाराम दि. 16/11 भंवरलाल पुत्र विशनाराम दि. 16/11 पतरु देवी पत्नी विश- नाराम दि. 9/11 जाति- जाट सा. देह खातेदार खसरा नम्बर 295, 533/288 एचन ICICI शाखा कानासर ख. नं. 526/276 एचन SBI शाखा कानासर	कौसरिया डाको की डाणी	526	0.8159	बा. सो.	0.04	
			276				
				0.8159	बा. सो.	0.04	
			295	4.7567	बा. दे.		
5.	चिन्नाराम पुत्र देवसाम दि. 1/22 हमाराम पुत्र चिन्नाराम दि. 4/22 नारंगाराम 5/0 देवसाम दि. 5/22 गौनाराम पुत्र देवसाम दि. 5/22 कुम्भाराम पुत्र विशनाराम दि. 20/110 भंवरलाल पुत्र विशनाराम दि. 20/110 पतरु देवी पत्नी विशनाराम जाति- जाट सा. देह खातेदार	कौसरिया डाको की डाणी	526	0.0884	गौ. मु. रास्ता		
			276				
			भोग	0.0884			
			295	0.4692	गौ. मु. रास्ता		
			533	0.0162	गौ. मु. रास्ता		
			288				
			533/288	0.3153	—		
			भोग	0.8009			

24/2/20
सहायक कमिश्नर (SDO)
बादतु
जिला- बाजौर

ख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

उपरोक्तानुसार पत्रकारों के मध्य
विभाजन किया जाता है। विभाजन हस्ताव का
भक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।
तहसीलदार बाधतु निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड
में अमल दराखीद करें, डिक्ली पत्रा जारी
होकर पत्रावली जिसमें शुमार है, दर्ज नम्बर
में कम हो देखिल, पत्रा हो।



सहायक कलेक्टर (SDO)

बाधतु

जिला - बाधमेर